भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 761

दिनांक 07.02.2024 को उत्तर देने के लिए

आंध्र प्रदेश में खनन पट्टे

†761. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में दिए गए खनन पट्टों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि खनन पट्टाधारकों द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को दी जा रही रॉयल्टी वर्ष 2018-19 में 417 करोड़ रूपये से घटकर 2020-21 में 340 करोड़ हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में राज्य को भुगतान की गई रॉयल्टी का ब्यौरारा क्या है; और

(ङ) विभिन्न खनिजों की खोज पर राज्यों को दी जाने वाली रॉयल्टी में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): खान मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में विभिन्न प्रमुख खनिजों (परमाणु, गौण और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) के लिए 376 खनन पट्टे हैं जिनमें से 106 खानें कार्यशील हैं और 270 खानें गैर-कार्यशील हैं।

(ख) और (ग): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम, 1957) की धारा 9 के अनुसार, प्रत्येक खनन पट्टा धारक एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रॉयल्टी दरों के अनुसार हटाए गए या उपभोग किए गए प्रमुख खनिजों के लिए रॉयल्टी का भुगतान करता है।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, प्रमुख खनिज खनन पट्टों से रॉयल्टी संग्रहण 2018-19 में 417 करोड़ रुपये से घट कर 2020-21 में कोविड-19 के प्रकोप के कारण 340 करोड़ रुपये हो गया।

(घ): आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में प्रमुख खनिज खनन पट्टों से आंध्र प्रदेश सरकार को प्राप्त रॉयल्टी निम्नलिखित है:

वर्ष	रॉयल्टी संग्रहण (करोड़ रुपये में)
2021-22	414
2022-23	433
2023-24 (31.01.2024 तक)	412

(ङ) एमएमडीआर अधिनियम, 1957 को दिनांक 12.01.2015 से संशोधित किया गया था, जिसके तहत पारदर्शी और गैर-विवेकाधीन तरीके से खनिज रियायतें देने के लिए नीलामी व्यवस्था शुरू की गई थी। नीलामी की पद्धति यह भी सुनिश्चित करती है कि राज्य सरकारों को खनिज रियायतों के अनुदान से प्राप्त राजस्व का उचित हिस्सा मिले। रॉयल्टी के अलावा, खनन प्रभावित जिलों को एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 9 ख के प्रावधानों के अनुसार जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के तहत निधियां भी मिलती हैं।

उसके बाद, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 को दिनांक 28.03.2021 से एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2021 के माध्यम से संशोधित किया गया। उक्त संशोधन के माध्यम से, खनन पट्टे के निष्पादन पर उत्पादन शुरू करने और प्रेषण के लिए समय-सीमाएं निर्धारित की गईं।

अब तक, आंध्र प्रदेश सरकार ने 23 प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है, जिनमें से 2 ब्लॉकों ने उत्पादन और प्रेषण शुरू कर दिया है। नीलामी से राजस्व वसूली तब शुरू होगी जब नीलाम की गई खानों से खनिजों का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा, नवंबर, 2023 तक आंध्र प्रदेश को डीएमएफ में 1,888.62 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

इन सुधारों के परिणामस्वरूप, खनिज ब्लॉकों की नीलामी और खनिजों के उत्पादन की गति में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप खनिज क्षेत्र से राज्य सरकारों को राजस्व में सहगामी वृद्धि हुई है।

*****